— : : **आदेश** : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1228/468 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम--छापड़ा तहसील--डेह के खसरा नं. 1689/1225, 468, 1226/468 में से तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम छापड़ा तहसील–डेह के खसरा नं. 1689/1225, 468, 1226/468 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी नानूराम पुत्र भींयाराम से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक हरीराम, मनोज, रेखाराम को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 31/01/25 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner